



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

01AA 403125



सत्य प्रतिलिपि  
 उप निबन्धक  
 फर्म समितियों तथा विद्स  
 फैजाबाद (उ० प्र०)  
 27/03/2006

डेवलपमेंट्स एशोसिएशन  
 फार ह्यूमन एडवॉन्समेंट  
 बहराइच  
 संशोधित स्मृति-पत्र  
 एफ - 13147

## संशोधित स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम : डेबलपमेन्टल एसोसिएशन फाट ह्यूमन एडवान्समेन्ट
2. संस्था का पता : ग्राम दूरे का पुटवा सेवा कुंज, मझीहा बाद रोड, पो. व तहसील सदर जिला बहराइच
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त भारत होगा।
4. संस्था के उद्देश्य :

1. मानव एकता के जरिये एक मजबूत सद्भावी व आत्म निर्भर समाज व राष्ट्र का निर्माण करना।
2. राष्ट्र के लिये सबलमातृ शक्ति के लिए समस्त प्रकार के युवक महिला एवं बाल विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना।
3. सघन आवश्यकता वाले अंचलों में सामान्य उच्च व रोजगार परक तकनीकी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु ऐसे केंद्रों की स्थापना व संचालन करना जो शिक्षार्थियों को शिक्षित होने के साथ साथ स्वावलम्बन की ओर अभिमुख करने में सहायक सिद्ध हो सकें।
4. जन स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा संबंधी एवं लोक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने हेतु प्रभावी रचनात्मक प्रयास करना।
5. कृषि पशुपालन विज्ञान पर्यावरण व ग्रामीण तकनीक व गैर पारम्परिक उर्जा श्रोतों के संरक्षण संवर्धन एवं समुचित विकास हो बढ़ावा देना।
6. पारम्परिक लोक कलाओं व विधाओं के संरक्षण संवर्धन व जनहित में सद्पयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रभावी प्रयास करना।
7. बृद्धों विकलांगों व असहायों के सहायताार्थ कार्य करना।
8. खादी ग्रामोद्योग के विकास व प्रचार प्रसार करते हुये सभाज को आर्थिक आत्म निर्भरता का बढ़ावा देना।
9. शोध अभिलेखी करण प्रकाशन प्रशिक्षण व हस्तावेजी करण करने के लिये केंद्रों की स्थापना व संचालन करना।
10. क्षेत्र के समग्र विकास हेतु कार्यक्रमों का सृजन व क्रियान्वयन करना।
11. संस्था समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं के साथ नेटवर्क बनाना व प्रत्येक माध्यम से स्वेच्छिक कार्यों को बढ़ावा देना।
12. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्थानीय लोगों सरकारी गैर सरकारी व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ आवश्यकता संसाधनों व हर प्रकार के सहयोग का आदान प्रदान करना।



5. संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों व पदाधिकारी के नाम, पते, पद तथा व्यवसाय जिनको इस संस्था के स्मृति-पत्र तथा नियमावली के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है।

क्र.सं.	नाम-पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री एस०बी०सिंह पुत्र स्व०श्री पी०एन०सिंह	1/13/190 सिवेल लाइन्स, फैजाबाद	अध्यक्ष	समाजकार्य
2	सुश्री विनिका करौली पुत्री श्री वी०पी० सक्सेना	बी-3 नारायण नगर, फैजाबाद रोड, लखनऊ-16	उपाध्यक्ष	समाजकार्य
3	डॉ० जितेन्द्र चतुर्वेदी गौरभ श्री सीताराम	ग्राम अमृतपुर पो० मधवापुर, जिला बहराइच	सचिव	सामाजिक कार्य /चिकित्सक
4	श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री हनुमान	ग्राम सिटकाना जीत केशव पो० धरसांवा, बहराइच	उपसचिव	समाजकार्य
5	सुश्री पुष्पा देवी पुत्री श्री बृजराज मिश्र	ग्राम भगवान नगर, गोलहना पो० लोलिया नगर, जिला बहराइच	कोषाध्यक्ष	गृहणी
	सुश्री सुधा मिश्र पुत्री श्री सीताराम मिश्र	ग्राम सिलौटा किसई हैदर, पो० सबलापुर, जिला बहराइच	सदस्य	शोधछात्रा/ समाजसेविनी
	श्री शाहिद अली पुत्र श्री इब्राहिम अली	ग्राम व पो० बिधिया बाजार, जिला बहराइच	सदस्य	शिक्षक/ चित्रकार

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता स्मृतिपत्र के अनुसार सोसायटी के रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 21 के अनुसार संस्था को पंजीकृत कराना चाहते हैं। :-

दिनांक-

हस्ताक्षर

*[Signature]*

*Vkasoli*

*पुष्पा देवी*

शारदा देवी

*[Signature]*

*सुधा*

*[Signature]*

## संसोधित नियमावली

- 1 संस्था का नाम : डेवलपमेन्ट एसोसिएशन फाट ह्यूमन एडवांसमेन्ट
- 2 संस्था का पता : ग्राम दूबे का पुरवा सेवा कुंज, मसीहा बाद रोड, पो. व तहसील सदर जिला बहराइच
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त भारत होगा।
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों का वर्ग
  - आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति इस संस्था की कम से कम 1000/ एक हजार रूपया एक मुश्त देगा वह संस्था की आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।
  - साधारण सदस्य : जो व्यक्ति इस संस्था को कम से कम 51/ रूपया प्रति वर्ष देता रहेगा वह संस्था का साधारण सदस्य बनाया जायेगा।
5. सदस्यता की समाप्ति : निम्नलिखित कारणों से संस्था की सदस्यता समाप्त हो जायेगी।
  1. मृत्यु हो जाने पर।
  2. त्याग-पत्र स्वीकृत होने पर।
  3. दीवालिया या पागत घोषित होने पर।
  4. किसी अनैतिक अपराध में दंडित होने पर।

अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।  
संस्था के विरुद्ध कोई भी कार्य किया जाना सिद्ध होने पर।  
सदस्यता शुल्क जमा न करने पर।  
लगातार तीन बैठकों में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर।
6. समिति के अंग
  1. साधारण सभा
  2. प्रबंधकारिणी समिति
7. साधारण सभा :
 

गठन :- साधारण सभा का गठन सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

बैठक :- साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि :- साधारण बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायेगी तथा विशेष बैठक की सूचना सात दिन पूर्व दी जायेगी।

कोरम :- साधारण सभा का कोरम कुल सदस्य संख्या 1/3 सदस्यों की उपस्थिति में मान्य होगा।

अधिकार एवं कर्तव्य : 1. संस्था का वार्षिक आय-व्यय विवरण तैयार करना।  
2. संस्था के हितार्थ समस्त कार्य करना।
8. प्रबंधकारिणी समिति

गठन :- प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा के बहुमत के आधार पर होगा जिसमें अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, सचिव एक, उपसचिव एक, कोषाध्यक्ष तथा 2 सदस्य होंगे इस प्रकार कुल संख्या-7 होगी।

बैठक :- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठके वर्ष में कम से कम 1/2 होगी जिसकी सूचना सात दिन पूर्व दी जायेगी तथा विशेष बैठक जरूरत पड़ने पर तीन दिन पूर्व की सूचना देकर किसी समय बुलाई जा जायेगी।



*[Handwritten signature]*

V. Karoli

युष्मा देवी

शारदा देवी

*[Handwritten signature]*

सुधा  
*[Handwritten signature]*

सत्य प्रतिज्ञा  
सग निबन्धक  
कुंजाबाद (२० प्र०)  
25/03/2016

कोरम :-

रिक्त स्थानों की पूर्ति :-

कार्यकाल :-

कार्य व अधिकार :-

प्रबन्धकारिणी समिति का कोरम कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति में मान्य होगा।

प्रबन्धकारिणी समिति में आकस्मिक रूप से रिक्त हुये स्थान की पूर्ति चुनाव की शेष अवधि के लिये साधारण सभा के कर ली जायेगी। प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पांच साल का होगा जो जरूरत पड़ने पर किसी समय घटाया या बढ़ाया जा सकेगा।

1. संस्था का वार्षिक आय-व्यय विवरण तैयार करना।
2. संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु अन्य कार्य करना।
3. समस्त प्रकार के प्रशासनिक प्रबन्धकीय पर्ववैतकीय एवं कार्यक्रमों से संबंधित अधिकार रखना।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

अध्यक्ष :

1. संस्था की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. संस्था द्वारा पारित प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिये सचिव द्वारा सूचना पत्र जारी करवाना।
3. संस्था के लिये उचित रूप संचालन व अचल संपत्ति जुटाना तथा दान चन्दा आदि एकत्र करना।
4. संस्था के पारित प्रस्तावों को कार्यान्वयन करना।
5. संस्था के सभी प्रकार के विवादों का समाधान करना।
6. अध्यक्ष को अधिकार होगा कि अन्दरूनी झगडों या अन्य कारण से प्रबन्धकारिणी समिति को भंग कर नवीन प्रबन्ध समिति का चुनाव करा ले और उक्त अवधि में मुख्य परामर्श के बतौर कार्य करें तथा प्रशासन का कार्यभार सम्भालने के छः माह के अंदर चुनाव कराकर नई प्रबन्ध समिति का गठन करवायें।

उपाध्यक्ष :

सचिव:

1. संस्था की समस्त प्रकार की बैठकों की अध्यक्ष की अनुमति लेकर बुलाना व उनका प्रबन्ध करना।
2. संस्था के विगत वर्षों का हिसाब किताब आदि आडिटरों को पेश करना प्रगति आख्या तैयार करना बैलेन्स सीट बनाना और फिर प्रबन्ध कारिणी समिति की स्वीकृति से साधारण सभा की स्वीकृति देना।
3. संस्था के लिये नये वर्ष का बजट बनाना और प्रबन्धसमिति की स्वीकृति प्राप्त करवा सरकार/अर्द्ध सरकार/स्वैच्छिक संस्था/कार्यालयों से ऋण दान अनुदान आदि प्राप्त करना तथा संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना। संस्था के हित में उचित रूप से चल व अचल संपत्ति जुटाना तथा दान अनुदान सहयोग राशि एवं ऋण आदि प्राप्त करना और पूर्ण व्यवस्था करना। वह समस्त संपत्ति/परिसंपत्तियों का प्रभारी होगा। संस्था द्वारा जारी किये गये चेकों कागजातो वे दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करना सुव्यवस्थित करना एवं प्रमाणित करना।
4. संस्था के हित में उचित रूप से चल व अचल संपत्ति जुटाना तथा दान अनुदान सहयोग राशि एवं ऋण आदि प्राप्त करना और पूर्ण व्यवस्था करना। वह समस्त संपत्ति/परिसंपत्तियों का प्रभारी होगा।
5. संस्था द्वारा जारी किये गये चेकों कागजातो वे दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करना सुव्यवस्थित करना एवं प्रमाणित करना।
6. संस्था द्वारा जारी किये गये चेकों पर अपने हस्ताक्षर द्वारा बैंको/निष्कासन एवं पदोन्नति आदि का कार्याधिकार रखना मुकदमों की पैरवी करना।
7. संस्था के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में समस्त कार्य करना।



सत्य प्रतिनिधि

उप निबन्धक  
कर्म समितिया, तथा चिट्ठ  
फैजाबाद (उ० प्र०)

25/03/2006

शारदा देवी

*[Handwritten signature]*

Vkaroli

पुष्पादेवी

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*